रजिस्टर्ड डाक द्वारा

संख्याः 02/2021/ 04 प्रो0/51-2021-14(06)/2019

प्रेषक,

अजय कुमार ओझा
उप सचिव,
मुख्य मंत्री एवं प्रोटोकाल,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
प्रयागराज।

मुख्यमंत्री कार्यालय (प्रोटोकाल अनुभाग) लखनऊः दिनांक 11 जनवरी, 2021

विषयः जनपद-प्रयागराज में पधारने वाले मा0 राज्य अतिथियों के सेवा-सत्कार पर व्यय हेतु धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्याः 794/नाजिर-नौ-ए, दिनांक 21 दिसम्बर, 2020 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्य अतिथियों के परिवहन से संबंधित निम्नलिखित देयकों के भुगतान हेतु धनराशि रूपये 1,85,772=00 (रूपये एक लाख पचासी हजार सात सौं बहत्तर मात्र) आवंटित करते हुए उसे व्यय करने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैः-

क्रम सं0	मा0 राज्य अतिथि का नाम/पदनाम/यात्रा की तिथि/ वाहन संख्या/ देयक संख्या/ दिनांक	धनराशि
1-	मा0 न्यायमूर्ति श्री राजेन्द्र कुमार मिश्रा, जज, उच्च न्यायालय, पटना। दिनांक 06-11-2020 से 09-11-2020, वाहन संख्या-यू0पी0-70, ई0टी0-7599, देयक संख्याः पीआरजे-25, दिनांक 10-11-2020	रू0 22,050=00
2-	मा0 न्यायमूर्ति श्री कृष्ण मुरारी, जज, मा0 सर्वोच्च न्यायालय, भारत। दिनांक 07-11-2020 से 10-11-2020, वाहन संख्या-यू0पी0-32, के0एन0-8992, देयक संख्याः पीआरजे-26, दिनांक 11-11-2020	रू0 31,605=00
3-	मा0 न्यायमूर्ति श्री विक्रम नाथ, मा0 मुख्य न्यायाधीश, मा0 उच्च न्यायालय, गुजरात। दिनांक 12-11-2020 से 15-11-2020, वाहन संख्या-यू0पी0-32, जे0एन0-6572, देयक संख्याः पीआरजे-27, दिनांक 19-11-2020	रू0 31,605=00
4-	मा0 न्यायमूर्ति श्री शरद कुमार शर्मा, जज, मा0 उच्च न्यायालय, उत्तराखण्ड। दिनांक 11-11-2020 से 14-11-2020, वाहन संख्या-यू0पी0-32, जे0एन0-4504, देयक संख्याः पीआरजे-28, दिनांक 19-11-2020	रू0 29,400=00
5-	श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत जी, मा0 केन्द्रीय मंत्री, जल शक्ति, भारत सरकार। दिनांक 22-11-2019, वाहन संख्या-यू0पी0-32, जे0एन0-6574, देयक संख्याः पीआरजे-30, दिनांक 27-11-2020	रू0 4,515=00

http://shasanadesh.up.gov.in

6-	मा0 न्यायमूर्ति श्री विक्रम नाथ, मा0 मुख्य न्यायाधीश, मा0 उच्च न्यायालय, गुजरात। दिनांक 22-11-2020, वाहन संख्या-यू0पी0-32, जे0एन0-6574, देयक संख्याः पीआरजे-31, दिनांक 27-11-2020	रू0 21,445=00
7-	मा0 न्यायमूर्ति श्री विश्वनाथ सोमद्दर, मा0 मुख्य न्यायाधीश, मा0 उच्च न्यायालय, मेघालय। दिनांक 30-11-2020 से 01-12-2020, वाहन संख्या-यू0पी0-32, के0एन0-8992, देयक संख्याः पीआरजे-35, दिनांक 02-12-2020	रू0 13,545=00
8-	मा0 न्यायमूर्ति श्री राजेन्द्र कुमार मिश्रा, जज, उच्च न्यायालय, पटना। दिनांक 26-11-2020 से 29-11-2020, वाहन संख्या-यू0पी0-32, के0एन0-8992, देयक संख्याः पीआरजे-36, दिनांक 02-12-2020	रू0 31,605=00
	(रूपये एक लाख पचासी हजार सात सौं बहत्तर मात्र) कुल योग	**रू0 1,85,772=00**

2- उक्त स्वीकृत धनराशि के आहरण की सूचना संबंधित कोषागार की डी0डी0ओ0 रिकान्सिलेशन स्टेटमेंट की प्रमाणित प्रति एवं भुगतान का व्यय विवरण निर्धारित प्रपत्र-1 पर शासन को एक सप्ताह के अन्दर अवश्य उपलब्ध करा दिया जाये। उक्त धनराशि के आहरण से पूर्व यह भी अवश्य सुनिश्चित कर लिया जाये कि देयक का भुगतान दुबारा नहीं किया जा रहा है। उक्त से संबंधित देयक मूलरूप में वापस किये जा रहे हैं।

3- उक्त धनराशि का व्यय वित्तीय वर्ष 2020-2021 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-84 के अन्तर्गत लेखा शीर्षक-'2053-जिला प्रशासन-093-जिला स्थापनाएं-03-कलेक्ट्री स्थापनाएं-22-आतिथ्य व्यय/व्यय विषयक भत्ता आदि' के नामें डाला जायेगा।

संलग्नकः 08 देयक मूलरूप में।

भवदीय
अजय कुमार ओझा
उप सचिव।

संख्याः 04(1) प्रो0/51-2021-14(06)/2019, तद् दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को भी सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः-

1- महालेखाकार, उत्तर प्रदेश (प्रथम), इलाहाबाद।
2- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-5।
3- कोषाधिकारी, प्रयागराज।
4- प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राज्य सड़क परिवहन निगम, लखनऊ।
5- वित्त नियंत्रक, उ0प्र0 राज्य सड़क परिवहन निगम, टिहरी कोठी परिवहन भवन, लखनऊ।
6- क्षेत्रीय प्रबन्धक, उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम, प्रयागराज।
7- कार्यालय आदेश पुस्तिका।

आज्ञा से
अजय कुमार ओझा
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in